अध्याय 2 : अधिदेश, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्य-प्रणाली

ओएनजीसी में समुद्री लौजिस्टिक्स परिचालनों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली, 2007 तथा निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश, 2014 के अनुसार किया गया है।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज के साथ 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि हेतु कंपनी के समुद्री लौजिस्टिक्स परिचालनों में इसके पश्चिमी तथा पूर्वी अपतट पर कुशलता, प्रभावकारिता तथा मितव्ययिता की समीक्षा सम्मिलित है। इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- यह सुनिश्चित करना कि क्या पोतों की आवश्यकता उचित रूप से निर्धारित की गई थी तथा परिसम्पत्तियों और सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए योजना बनाई गई थी;
- यह निर्धारित करना कि क्या समय पर किराए पर लेने या अधिग्रहण करके प्रभावी तथा कुशल तरीके से पोतों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराई गई थी;
- यह निर्धारित करना कि क्या पोतों को इष्टतम रूप से परिनियोजित किया गया था तथा क्या स्वामित्व वाले पोतों की उचित मरम्मत हेतु कोई प्रणाली विद्यमान थी;
- यह निर्धारित करना कि क्या न्हावा आपूर्ति बेस (एनएसबी) तथा काकीनाड़ा आपूर्ति बेस (केएसबी) के परिचालन अर्थात् आपूर्ति चेन प्रबंधन, सामग्री योजना, कन्डेम्ड/स्क्रैप मदों का निपटान आदि प्रभावी तथा कुशल थे; तथा

- यह निर्धारित करना कि क्या समुद्री लौजिस्टिक्स परिचालनों से संबंधित सुरक्षा, अभिरक्षा तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा हेतु मानदण्ड को योजना, परिनियोजन, आपूर्ति बेस परिचालनों, सेवा, प्रमुख निष्पादन संकेतक तथा सलाहकार रिपोर्टों से संबंधित कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों/ मापदण्डों/प्रक्रियाओं से लिया गया था। इसके अलावा, तेल उद्यम सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (अपतट परिचालनों में सुरक्षा) नियमावली, 2008 (पीएनजी-(एसओओ) नियमावली) तथा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैडलिंग तथा ट्रांस-बाउंड्री मूवमेंट) नियमावली 2008 तथा कंपनी की क़ॉर्पोरेट पर्यावरण नीति पर निर्भर है।

2.3 लेखापरीक्षा कार्य-प्रणाली

प्रबंधन के साथ 13 जनवरी 2017 को एक प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र तथा कार्य-प्रणाली की चर्चा की गई थी। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जनवरी 2017 से जून 2017 के बीच की गई थी। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में सूचना/दस्तावेजों का संग्रहण तथा समीक्षा करना, प्रबंधन के साथ चर्चा तथा आपूर्ति बेस तटवर्ती निरीक्षण शामिल है।

प्रबंधन को 05 अगस्त 2017 को ड्राफ्ट प्रतिवेदन जारी की गई थी तथा 20 सितम्बर 2017 को उत्तर प्राप्त किया गया। प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा 04 अक्टूबर 2017 को आयोजित निकासी सम्मेलन में की गई थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को 10 नवम्बर 2017 को संशोधित ड्राफ्ट प्रतिवेदन जारी की गई थी। मंत्रालय के उत्तर 21 तथा 28 दिसम्बर 2017 को प्राप्त किए गए थे।

प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ओएनजीसी के प्रबंधन के साथ एक निकासी सम्मेलन 09 मार्च 2018 को आयोजित की गई। कंपनी से नया उत्तर, निकासी सम्मेलन के बाद 14 मई 2018 को प्राप्त किया गया था। निकासी सम्मेलन के दौरान पेट्रोलियम एवं

प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया तथा मतों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.4 लेखापरीक्षा व्याप्ति

पोतों को किराए पर लेने के निर्धारण की योजना तथा इसका अनुमोदन, विभिन्न प्रकार के पोतों के आवश्यक संख्या को किराए पर लेने की निविदा गतिविधियाँ, स्वामीत्व वाले पोतों के परिचालन और प्रबंधन अनुबंध, नए पोत अधिग्रहण, पोत परिनियोजन, थोक कार्गो उपयोग तथा केएसबी परिचालनों को पूर्ण रूप से शामिल किया गया। समुद्री यात्रा रिपोर्टों के विस्तृत विश्लेषण वाले मुद्दों की नमूना जांच (डेक स्थल उपयोग, ईंधन तथा जल की आपूर्ति, पोतों का प्रतिवर्तन काल आदि) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान की गई थी।

2.5 आभार

हम लेखापरीक्षा को सहज रूप से करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ओएनजीसी के प्रंबंधन तथा कर्मचारियो द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

अतिरिक्त कार्य पर एक ओएसवी